महत्वपूर्ण / आवश्यक

संख्या: 804 / 69-5-19-29 / 2009टी.सी.

प्रेषक

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उ0प्र0।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: 09 सितम्बर 2019

विषय : विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक हेतु एजेण्डा का निर्धारण करने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत समस्त विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्ध समिति गठित की गयी है। इस सम्बन्ध में विद्यालय प्रबन्ध समिति की मासिक बैठक माह के प्रथम बुद्धवार को निर्धारित की गयी है।

उपर्युक्त सम्बन्ध में विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठकों को सुनियोजित करने एवं प्रभावी बनाने हेतु निम्नवत् निर्देश दिये जाते है:-

1. विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक आहूत करने के सम्बन्ध में ग्राम स्तर पर मुनादी (डुग्गी, ढोल) करायी जाए ताकि ग्रामवासी एवं अभिभावक बैठक के आयोजन से अवगत हो सकें।
2. विद्यालय प्रबन्ध समिति की मासिक बैठक में विद्यालय के समस्त अध्यापक अनिवार्यतः प्रतिभाग करेंगे।
3. विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठकों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, सभी सह समन्वयक बी0आर0सी0, एम0आई0एस0 इंचार्ज, एवं लेखाकार अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करेंगें और समिति की बैठक के संचालन का स्थलीय अवलोकन करेगें। सम्बन्धित अधिकारीगण यह फीडबैक भी प्राप्त करेंगें कि बैठक के दिवस के पूर्व बैठक की नोटिस जारी की गयी है कि नहीं तथा गत बैठक का कार्यवृत्त जारी किया गया है कि नहीं।
4. विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक में लेखपाल, ए0एन0एम0 और ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि अवश्य प्रतिभाग करेंगें।
5. विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक से सम्बन्धित आयोजन का विवरण फोटोग्राफ सहित प्रेरणा पोर्टल के एस0एम0सी0 गतिविधि मॉड्यूल पर अवश्य अपलोड कराने की व्यवस्था की जाए।
6. विद्यालय प्रबन्ध समिति की मासिक बैठक हेतु सुझावित एजेण्डा निम्नवत् है:-
   (1) विद्यालय में शिक्षकों, शिक्षामित्रों एवं अनुदेशकों की उपस्थिति के सम्बन्ध में चर्चा।
   (2) छात्र-छात्राओं की उपस्थिति की समीक्षा की जाये। यदि छात्र-छात्राओं की उपस्थिति 60 प्रतिशत से कम है तो पृथक से अभिभावकों के साथ बैठक की जाये और उनसे विचार-विमर्श किया जायें।
   (3) छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों, यूनीफार्म, जूता-मोजा, स्कूल बैग एवं स्वेटर समय से वितरण एवं नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही।

Important G.O.-1535.doc

Scanned with CamScanner

(4) हाउस होल्ड सर्वे में चिन्हित आउट ऑफ स्कूल बच्चों के नामांकन एवं विशेष प्रशिक्षण की समीक्षा की जाये, जिसमें बालिकाओं तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का विशेष रूप से ध्यान दिया जाये।

(5) मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत मीनू के अनुसार नियमित रूप से भोजन दिया जा रहा है अथवा नहीं।

(6) विद्यालय में शैक्षिक रूप से कमजोर छात्र–छात्राओं के लिए रेमिडियल टीचिंग की व्यवस्था।

(7) विद्यालय प्रबन्ध समिति को वर्ष 2018–19 में कितनी धनराशि प्राप्त हुयी और उसके सापेक्ष कितनी धनराशि व्यय की गयी।

(8) वर्ष 2019–20 में विद्यालय प्रबन्ध समिति को प्राप्त धनराशि और उससे किये गये व्यय का विवरण। विद्यालय की दीवार पर लेखन है अथवा नहीं।

(9) विद्यालय में पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध है अथवा नहीं एवं पुस्तकालय की पुस्तकें बच्चों को पढ़ने हेतु उपलब्ध करायी जा रही है या नहीं।

(10) विद्यालय में खेलकूद की सुविधा उपलब्ध है अथवा नहीं एवं खेलकूद की सामग्री का बच्चों द्वारा प्रयोग किया जा रहा है या नहीं।

(11) पाठ–योजना के अनुसार शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य किया जा रहा है कि नहीं।

(12) विद्यालय में ब्लैकबोर्ड, पेयजल एवं हैण्डवॉश की व्यवस्था, बालक–बालिकाओं हेतु पृथक–पृथक शौचालय, रसोईघर, रंगाई–पुताई, फर्श आदि की स्थिति।

(13) विद्यालय भवन के रख–रखाव एवं साफ सफाई की व्यवस्था पर चर्चा।

(14) पंचायत द्वारा वित्त पोषण के तहत किये गये कार्यों की समीक्षा।

कृपया उपरोक्तानुसार विद्यालय प्रबन्ध समितियों की मासिक बैठक का आयोजन नियमित एवं सुनियोजित रूप से कराना सुनिश्चित करें। यह भी अपेक्षा है कि अपने स्तर से सभी अधीनस्थ अधिकारियों एवं प्रधानाध्यापकों को भी उपर्युक्त निर्देशों से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(हस्ताक्षर) ०९/९/१९

(रेणुका कुमार)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0।
2. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद, उ0प्र0।
3. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
4. शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0।
5. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उ0प्र0।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(हस्ताक्षर)

(उमेश कुमार तिवारी) 09.9.19

अनुसचिव।

Important G.O.-1505.doc

Scanned with CamScanner